



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 531/2026

1. कृष्णा देवी पत्नी स्व. श्री सियाराम जाट, उम्र 29 वर्ष
2. निहाल सिंह जाट पुत्र स्व. श्री सियाराम, उम्र 11 वर्ष
3. लक्षिता जाट पुत्री स्व. श्री सियाराम जाट, उम्र 08 वर्ष
4. नाथी पत्नी श्री बद्री नारायण जाट, उम्र 59 वर्ष
5. बद्रीनारायण जाट पुत्र श्री नारायण जाट, उम्र 66 वर्ष
(प्रार्थी संख्या 2 व 3 जरिये संरक्षिका माता कृष्णा देवी पत्नी स्व. श्री सियाराम जाट)
समस्त निवासीयान— मु.पो. निमाडिया, तहसील व थाना चाकसू, जिला जयपुर (राज.)

....प्रार्थीगण/अपीलार्थी

बनाम

1. विश्राम जाट पुत्र श्री लादूराम जाट, उम्र 30 वर्ष, निवासी— रूपवास पोस्ट बडोदिया, तहसील—चाकसू, हाल तहसील व थाना कोटखावदा जिला—जयपुर (राज.)
(वाहन चालक मोटर साईकिल संख्या— आर.जे—14—एच.वाई—6131)
2. हीरालाल पुत्र श्री हरिनारायण, निवासी— छतरी वाला मोहल्ला, कौथून तहसील व थाना चाकसू, जिला जयपुर, (राज.)
(पंजीकृत वाहन स्वामी मोटर साईकिल संख्या— आर.जे—14—एच.वाई—6131)
3. युनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, जरिये प्रबंधक, कार्यालय व्हाटस सफायर बिल्डिंग 4 नम्बर डिस्पेंशरी के सामने, अजमेर रोड, सोडाला, जयपुर (राज.)
(बीमा कम्पनी वाहन मोटर साईकिल संख्या— आर.जे—14—एच.वाई—6131)

....अप्रार्थीगण

For Appellant(s)	: Mr. Bhanu Prakash Verma, Adv.
For Respondent(s)	: Ms. Bharti Trivedi, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

15/05/2026

1. अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील धारा—173 मोटर वाहन अधिनियम—1988 के तहत न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (विशिष्ट



न्यायालय, सा.दं.प्र.) जयपुर महानगर, जयपुर (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या-247/2022, कृष्णा देवी व अन्य बनाम विश्राम जाट व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 18.08.2025 (जिसे आगे 'आलोच्य निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलार्थीगण द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना में सियाराम की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप कुल 1,18,00,000/- रुपये क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका विद्वान अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका का निस्तारण करते हुए याचीगण को कुल 17,18,416/- रुपये की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज 06 प्रतिशत सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आलोच्य निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थीगण द्वारा क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की आय की गणना 26 दिवस की मजदूरी के आधार पर करते हुए 6,734/- रुपये प्रतिमाह निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की गयी है, जबकि मृतक की आय की गणना 30 दिवस की मजदूरी के आधार पर की जानी चाहिए थी। वक्त घटना मृतक खेतीबाड़ी व दुध विक्रय का कार्य कर प्रतिमाह 20,000/- रुपये की आय अर्जित करता था। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा कंसोर्टियम की मद में तथा अन्य मदों में अत्यंत कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से अपीलार्थीगण के उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिकरण द्वारा पारित किये गये निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थीगण की ओर से संस्थित की गयी अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।



5. दोनों पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 24.11.2021 की बताई गयी है तथा वक्त घटना मृतक को खेतीबाड़ी व दुध विक्रय का कार्य कर प्रतिमाह 20,000/- रुपये की आय अर्जित करना अवश्य बताया गया है, किन्तु मृतक की आय के संबंध में अपीलार्थीगण की ओर से कोई ठोस साक्ष्य विद्वान अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी है। विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना मृतक को अकुशल श्रमिक की श्रेणी में रखा जाकर तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर उसकी मासिक आय की गणना 26 दिवस की मजदूरी के आधार पर करते हुए 6,734/- रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गयी है, जबकि मृतक की मासिक आय की गणना 30 दिवस की मजदूरी के आधार पर की जानी चाहिए थी। ऐसी स्थिति में हम, घटना की तिथि को दृष्टिगत रखते हुए तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी दर के आधार पर मृतक की दैनिक आय 259/- रुपये, तदनुसार मासिक आय $259 \times 30 = 7,770/-$ रुपये निर्धारित किया जाना उचित समझते हैं। क्लेम याचिका में वक्त घटना मृतक को 28 वर्ष आयु का होना बताया गया है। विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा जारी अंकतालिका की फोटो प्रति तथा जनाधार कार्ड रसीद की प्रति में अंकित जन्मतिथि 04.08.1993 के अनुसार वक्त घटना मृतक की आयु 28 वर्ष 03 माह 20 दिवस होने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए वक्त घटना मृतक की आयु 26 से 30 वर्ष के मध्य निर्धारित की गई है। चूंकि वक्त घटना मृतक 26 से 30 वर्ष के मध्य आयु का स्वनियोजित व्यवसायी था। ऐसी स्थिति में **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य रिपोर्टेड इन (2017) 16 एस.सी.सी. 680** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए मृतक की निर्धारित मासिक आय 7,770/- रुपये पर भविष्य की प्रत्याशा की मद में 40 प्रतिशत अर्थात् 3,108/- रुपये की बढ़ोतरी करते हुए मृतक की कुल मासिक आय 10,878/- रुपये निर्धारित की जाती है, जो क्षतिपूर्ति के निर्धारण का आधार रहेगी।



7. वक्त घटना मृतक पर कुल 05 आश्रित बताये गये हैं। विद्वान अधिकरण मृतक पर आश्रितों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में $1/4$ भाग की कटौती की गयी है, जो सही है। तदनुसार 10,878/— रुपये का $1/4$ भाग 2,719/— रुपये होता है, जिसे निर्धारित मासिक आय में से घटाने के उपरांत आश्रित आय की शेष राशि 8,159/— रुपये होती है। वक्त घटना मृतक की आयु 26 से 30 वर्ष के मध्य निर्धारित की गयी है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य रिपोर्टेड इन (2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 17 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है।
8. तदनुसार मृतक की निर्धारित आश्रित आय 8,159/— रुपये के आधार पर अपीलार्थीगण को होने वाली आश्रित आय की **कुल क्षति $8,159 \times 12 \times 17 = 16,64,436$ /— रुपये** होती है, जो अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं।
9. विद्वान अधिकरण द्वारा प्रत्येक अपीलार्थी को 48,000/— रुपये के हिसाब से कुल 2,40,000/— रुपये की राशि कंसोर्टियम की मद में दिलवाई गयी है, जो अधिक है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त) व यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर व अन्य रिपोर्टेड इन (2021) 11 एससीसी 780** व अन्य न्यायिक दृष्टांत **मेगमा जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहलू राम व अन्य रिपोर्टेड इन (2018) 18 एससीसी 130** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक आश्रित को 40,000/— रुपये कंसोर्टियम की मद में दिलवाये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।
10. हस्तगत मामले की घटना वर्ष 2021 की बताई गयी है। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त)**, **सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर (उपरोक्त)** व **नानू राम उर्फ चुहलू राम (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार घटना की तिथि को दृष्टिगत रखते हुए कंसोर्टियम की मद में देय निर्धारित राशि पर दस



प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए मृतक की पत्नी अपीलार्थी संख्या-1 को “स्पाउस कंसोर्टियम” की मद में 44,000/- रुपये, मृतक के बच्चों अपीलार्थी संख्या- 2 व 3 प्रत्येक को “पैरेण्टल कंसोर्टियम” की मद में 44,000/- रुपये तथा मृतक के माता-पिता अपीलार्थी संख्या-4 व 5 प्रत्येक को “फिलियल कंसोर्टियम” की मद में 44,000/- रुपये (कुल 2,20,000/- रुपये) की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

11. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को अंतिम संस्कार की मद में 18,000/- रुपये तथा सम्पदा की हानि के मद में 18,000/- रुपये की राशि दिलवाई गयी है, जो अधिक है। अतः उपरोक्त मदों में हम, **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार 16,500-16,500/- रुपये (कुल 33,000/- रुपये) की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

12. उक्तानुसार अपीलार्थीगण/क्लेमेंट्स निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं :-

क्रम सं.	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि (रुपये में)
1.	आश्रित आय की क्षति के मद में	16,64,436 /-
2.	कंसोर्टियम के मद में	कुल 2,20,000 /-
3.	अंतिम संस्कार के मद में	16,500 /-
4.	सम्पदा की हानि के मद में	16,500 /-
इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई कुल क्षतिपूर्ति राशि		19,17,436 /-
विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि (-)		17,18,416 /-
बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर		1,99,020 /-

13. तदनुसार अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण/क्लेमेंट्स को **17,18,416/- रुपये** दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर **19,17,436/- रुपये** का पंचाट पारित किया जाता है। अपीलार्थीगण को देय क्षतिपूर्ति राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जाएगी। अपीलार्थीगण द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं।



14. इस निर्णय द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थीगण, 08 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं।
15. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।
16. सभी लम्बित प्रार्थना-पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J

LOKESH RAJ/106-S